ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हरभजन सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रविंदर पाल	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर	1.75

		बारे	
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	29.20
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.38
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.52
5)	8.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना	1.52
6)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.89
7)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.49

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2017 से 31/03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा- 12	अनिर्णीत	

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा- 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 315479 दिनांक 28.10.22 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा- 4.1	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरांत।
4.	पैरा- 5 (क, ख, ग व घ)	अनिर्णीत	
5.	पैरा- 6 (क)	निर्णीत	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरांत।

6.	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत	
7.	पैरा- 7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
8.	पैरा- 8	निर्णीत	₹950 की वसूली की पुष्टि बैंक पासबुक से करने के उपरांत।
9.	पैरा- 9	अंशतः निर्णीत	₹4400 की वसूली की पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है तथा जिसकी राजकीय कोष में जमा बारे कार्यवाही शेष है।
10.	पैरा- 10	अनिर्णीत	
11.	पैरा- 11	अनिर्णीत	
12.	पैरा- 12	अनिर्णीत	
13.	पैरा- 13	अनिर्णीत	
14.	पैरा- 14	अनिर्णीत	
15.	पैरा- 15	अनिर्णीत	
16.	पैरा- 16	अनिर्णीत	
17.	पैरा- 17	अनिर्णीत	
18.	पैरा- 18	अनिर्णीत	
19.	पैरा- 19	अनिर्णीत	
20.	पैरा- 20	अनिर्णीत	
21.	पैरा- 21	अनिर्णीत	
22.	पैरा- 22	अनिर्णीत	
23.	पैरा- 23	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.05.2025 से 13.05.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	01/2025	01/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 213/2025 दिनांक 13/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315690 दिनांक 13/05/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	2571511.45	3488566.5	6060077.95	3139922.5	2920155.45

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹174652.54** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2920155.45
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**2745008.91**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	494.00
4)	**योग (2+3)**	**2745502.91**
5)	**अन्तर (1-4)**	**174652.54**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹1.75 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹174652.54** का भारी अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 198/2025 दिनांक 03/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**	**अंतर का कारण**
1	स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	2920155.45	2745502.91	174652.54	**अंतर के कारण :-** 1) अंकेक्षण अवधि

					01.04.2024 से 31.03.2025 दौरान बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 26.07.24, 02.08.24, 29.03.25 व 31.03.25 को कुल **₹105144.10** (21000+21000+21000+ 5000+375+36769.10) की आय प्राप्त हुई, जिसे दिनांक 31.03.2025 तक ऑनलाइन रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया। 2) अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 दौरान बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 08.07.24, 10.07.24, 22.11.24 व 11.03.25 को कुल **₹185719** (2625+29300+28276+20068+32800+10400+62250) का व्यय किया गया, जिसे दिनांक 31.03.2025 तक ऑनलाइन रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया। 3) स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही में वाउचर संख्या MPLADS/2024-25/R/1 दिनांक 01.01.2025 पर

					दर्शाई गई **₹40000** की प्राप्ति, जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाई गई | 4) स्व: स्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2024-25/R/5 दिनांक 12.07.2024 पर दर्शाई गई **₹2380** की प्राप्ति, जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाई गई | **शुद्ध अंतर** (174652.54+105144.10-185719-40000-2380) = **51697.64**

4.3 स्व: स्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को

परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹29.20 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2920155.45** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.38 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹138150 ("परिशिष्ट ख" अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2024-25	69150	69000	138150	0	138150

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹5000 सलंग्र **"परिशिष्ट ग"** अनुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	5000

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 201/2025 दिनांक 05/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सलंग्न **"परिशिष्ट ग"** में वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹800 की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 200/2025 दिनांक 05/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के बैंक खाते में दिनांक 08.05.25 को जमा करवा दिया गया है व उक्त वसूली गई राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.52 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि 15वें वित्तायोग शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार **₹351908** की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2025 दिनांक 07/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वां वित्तायोग	P/56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71 03/25	095 to 102 Dtd 26.02.25, 27.02.25, 28.02.25, 01.03.25	M/s Prince Frost Bane Di Hatti	वाटर कूलर	351908
					योग	**351908**

8.2 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹1.52 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान सलंग्न **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹151950** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205/2025 दिनांक 07/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹151950** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 ₹0.89 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 01/2025 में **₹89240** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204/2025 दिनांक 07/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	भुगतान राशि(18% GST सहित)
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	188	03.07.2024	2700 टाईल / पेवर @ 9.204 प्रति पेवर =24850	24840
2	यथोपरि	187	01.07.2024	4500 टाईल / पेवर @ 9.204	41400

				प्रति पेवर =41418	
3	यथोपरि	172	05.03.2024	2700 टाईल / पेवर @ 9.204 प्रति पेवर =24850	23000
				योग	**89240**

8.4 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के चयनित माह 01/2025 में स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए निम्नानुसार निर्माण कार्य कि जाँच दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (रेत व बजरी) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया था और शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹6766** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212/2025 दिनांक 13/05/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अधिक भुगतान की गई राशि **₹6766** की वसूली रसीद संख्या 257532 दिनांक 13.05.2025 द्वारा करके राशि को स्व: स्तोत्र व अनुदान (समेकित) शीर्ष के बैंक खाते में दिनांक 13.05.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से अंकेक्षण दौरान कर ली गई है |

क) कार्य का नाम :- C/O Pucca Path from H/o Arjun Singh to Khad

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रेत (घन मीटर)	बजरी (घन मीटर)20 MM	बजरी (घन मीटर) 40MM
4788 79	CC 1:4:8	30.84	14.49	7.40	20.04
79	CC 1:3:6	2.90	1.36	2.58	0.00
		योग	**15.85**	**9.98**	**20.04**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 2.3,4.5 अनुसार जारी / खपत मात्रा		**19.82**	**11.32**	**25.48**

	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	3.97	1.34	5.44
	क्रय दर	848 प्रति घन मीटर	671.37 प्रति घन मीटर	459.36 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान	**3367**	**900**	**2499**
	कुल अधिक भुगतान	**6766**		

8.5 स्रोत पर ₹0.06 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹304100** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्रोत पर **₹6082** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2024-25	M/s Prince Frost Bane di Hatti	वाटर कूलर	304100	304100	6082 (2% x 304100)
				योग	**304100**	**6082**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203/2025 दिनांक 07/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6082** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 ₹1.49 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 01/2025 में निम्न विवरणानुसार कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹149122** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 208/2025 दिनांक 07/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	MPLADS /2024-25/P/1, P/2, P/6 01/25	C/o Pacca Path From H/o Khem chand to H/o Avtar Singh	103963 (08.04.24 to 30.04.24), 10070 03.04.24, 271 20.05.24	मजदूरी, रेत,बजरी, ढुलाई	73380	प्रस्ताव, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
2	स्व: स्रोत व	MPLADS	C/o Pacca	103961	मजदूरी,	75742	प्रस्ताव, प्राक्कलन,

	अनुदान (समेकित)	/2024-25/P/3, P/4, P/5, P/7 01/25	Path link road to Krishan Kumar	(01.03.24 to 16.03.24), 10069 23.02.24, 172 05.03.24, 269 01.03.24	रेत,बजरी, पेवर/ ब्लॉक्स, ढुलाई		34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
					योग	**149122**	

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194/2025 दिनांक 03/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया ज़ाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 अग्रिम राशि ₹2.80 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक PO HIMURJA ऊना को 22 नंबर सोलर लाइट्स के क्रय हेतू निम्नानुसार **₹279510** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: PO HIMURJA ऊना से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

शीर्ष का नाम	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया**	**सामान का विवरण**	**अग्रिम राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/25 तक समायोजित राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/25 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)**
15वां वित्तायोग	35482 13.03.25, 35490 19.03.25	PO HIMURJA Una	22 नंबर सोलर लाइट्स	279510	0	279510

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2025 दिनांक 03/05/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 13/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 30-6-25
सहायक निदेशक,
का०/प्रति
30 JUN 2025
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)62/2020–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 JUN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 30-6-25
सहायक निदेशक,
का०/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2571511.45	3488566.5	6060077.95	3139922.5	2920155.45

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

-12- 20

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2571511.45	2551643	5123154.45	2202999	2920155.45

1(a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1024441.15	556857	1581298.15	920446	660852.15

1(b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1547070.3	1994786	3541856.3	1282553	2259303.3

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

21

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	936923.5	936923.5	936923.5	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड जिला ऊना (हि.प्र.)

22

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2920155.45
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष	**2745008.91**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	494.00
4)	**योग (2+3)**	**2745502.91**
5)	**अन्तर (1-4)**	**174652.54**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
[illegible] (हि.प्र.)

23

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	टिप्पणी
1	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003399	277748.10	
	KCCB Amb (Own & GIA)	20009004031	207791.00	
	KCCB Amb (IAY)	20009003843	1930.00	
	HDFC Amb (15th Fc)	50100339321476	2256923.30	
	Post Office Gagret	153631	8.31	बैंक शेष प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
	Post Office amb	234603	608.20	यथोपरि
		योग	**2745008.91**	
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	494.00	
		योग (1+2)	**2745502.91**	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर

23-24

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	69150	69000	138150	0	138150

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

25

परिशिष्ट 'ग' - पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर वि०ख० अम्ब जिला ऊना हि०प्र०

विवाह पंजीकरण सूचना वर्ष 2024-25

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद स०	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु राशि
01	पवन कुमार	25/03/2024	01/04/2024	370 154	200	200	0
02	उत्सव भारद्वाज	18/04/2024	26/04/2024	370 155	200	200	0
03	आदित्य चौधरी	10/03/2024	20/05/2024	370 156	400	200	200
04	नवदीप चौधरी	12/07/2024	25/07/2024	370 157	200	200	0
05	राहुल चौधरी	16/06/2024	05/08/2024	370 158	400	200	200
06	गगन दीप	21/07/2024	12/08/2024	370 159	200	200	0
07	पवन कुमार	12/08/2024	29/08/2024	370 160	200	200	0
08	निशांत शर्मा	18/04/2024	04/11/2024	370 161	400	400	0
09	संजय खान	25/10/2024	11/11/2024	370 162	200	200	0
10	रोहित कुमार	03/11/2024	21/112024	370 163	200	200	0
11	साहिल काजला	11/10/2024	21/11/2024	370 164	400	400	0
12	रवि कुमार	10/02/2023	25/11/2024	370 165	400	200	200
13	सतीश कुमार	08/11/2024	28/11/2024	370 166	200	200	0
14	विजय कुमार	24/11/2024	09/12/2024	370 167	200	200	0
15	सौरभ खट्टा	27/11/2024	10/12/2024	370 168	200	200	0
16	अजय कुमार	08/11/2024	10/12/2024	370 169	400	200	200
17	गौरव	14/11/2024	10/12/2024	370 170	200	200	0
18	अच्छर सिंह	10/11/2024	10/12/2024	370 171	200	200	0
19	नितेश कुमार	05/12/2024	23/12/2024	370 172	200	200	0
20	जोगिन्दर सिंह	11/12/2024	08/01/2025	370 173	200	200	0
21	साहिल मनकोटिया	16/01/2025	23/01/2025	370 174	200	200	0
22	हरपाल सिंह	06/04/2024	20/03/2025	370 175	400	400	0
	कुल				5800	5000	800

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'घ' पैरा संख्या 8.2 के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना							
अवधि 01/04 /24 से 31/03/25 के चयनित माह 01/25 में रेत,वजरी, व पत्थर के क्रय बारे सूचि							
क्र०सं०	योजना	वाउचर स०	कार्य का नाम	बिल स० व दिनाक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	4	निर्माण पक्का पाथ खेम चंद घर से अवतार सिंह	10070 दि0 03/04/2024	रामा स्टोन क्रेशर अन्दौरा	रेत-400ft बजरी-200 ft वजरा-500ft	19900
2	यथोपरि	6	निर्माण पक्का पाथ लिंक रोड से कृष्ण कुमार घर यार्ड	10069 दि0 23/02 /2024	रामा स्टोन क्रेशर	रेत-450ft बजरी-200 ft वजरा-450ft	20450
3	यथोपरि	26	निर्माण पक्का पाथ अर्जुन सिंग डड वाला मोहल्ला से	12755 दि0 11/07 /2024	रामा स्टोन क्रेशर	रेत-750ft बजरी-300 ft वजरा-700ft	32800
4	यथोपरि	27	निर्माण पक्का पाथ लोहरा बस्ती से हंसराज घर तक	12756 दि0 21/07 /2024	रामा स्टोन क्रेशर	रेत-300ft बजरी-100 ft वजरा-100ft	10400
5	यथोपरि	30	निर्माण पक्का पाथ लिंक रोड से अबादी राम स्वरूप गोल टिल्लू वार्ड न०-7	13026 दि0 03/10/2024	रामा स्टोन क्रेशर	रेत-1100ft बजरी-1100 ft वजरा-1000 ft	60300
6	यथोपरि	32	निर्माण पक्का पाथ अर्जुन सिंग डड वाला मोहल्ला से	13025 दि0 04/09/2024	रामा स्टोन क्रेशर	रेत-150ft बजरी-100 ft वजरा-200 ft	8100
						Total	151950

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

26 - 27

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 8.5 के सन्दर्भ में।

(व)त्तीय वर्ष 2024-25 में M/s Prince Frost Bane di Hatti को किए गये कुल भुगतान राशि (GST के (अ)तिरिक्त) की सूचि

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि (GST के अतिरिक्त)
1	15वां वित्तायोग	P/56	03/25	095	26.02.25	38700
2	15वां वित्तायोग	P/58	03/25	096	26.02.25	38700
3	15वां वित्तायोग	P/60	03/25	097	27.02.25	38700
4	15वां वित्तायोग	P/62	03/25	098	27.02.25	38700
5	15वां वित्तायोग	P/64	03/25	099	28.02.25	38700
6	15वां वित्तायोग	P/66	03/25	100	28.02.25	38700
7	15वां वित्तायोग	P/68	03/25	101	01.03.25	38700
8	15वां वित्तायोग	P/71	03/25	102	01.03.25	33200
					योग	**304100**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अन्दौरा अप्पर
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)